



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

8 आश्विन, 1944 (श०)

संख्या - 487 राँची, शुक्रवार, 30 सितम्बर, 2022 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

29 सितम्बर, 2022

सं.-01/न्या.मा.-10/2021/न.वि.आ./3464--तत्कालीन खान पर्षद, हजारीबाग के सेवानिवृत्त कर्मियों के बकाया सेवानिवृत्तिक पावनाओं एवं पेंशन की गणना तथा भुगतान से संबंधित स्पष्ट दिशानिर्देश के अभाव में शहरी स्थानीय निकायों तथा खान पर्षद के सेवानिवृत्त कर्मियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसके फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय में विभिन्न न्यायालय वाद/अवमाननावाद दायर किये जा रहे हैं, जिससे विपरीत स्थिति का सामना करना पड़ रहा है।

2. झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की धारा-615 द्वारा हजारीबाग खान बोर्ड को अधिनियम के प्रभावी होने की तिथि से निष्प्रभावी करते हुए बोर्ड के अध्यक्षीन क्षेत्र सम्बद्ध नगर निकाय में सन्निहित किया गया है एवं इसके ऋण, बाध्यता और दायित्व नगरपालिका के साथ उपगत होने एवं चल/अचल संपत्ति आदि नगरपालिका की संपत्ति समझे जाने का प्रावधान किया गया है। साथ ही, झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम, 2011 की उप धारा-615 (6) में तत्कालीन खान पर्षद हजारीबाग के कर्मियों के संबंध में निम्न प्रावधान किये गये हैं:-

“इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के तत्काल पूर्व रत वैसे पदाधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के बारे में, यह माना जायेगा कि ऐसी तिथि से वे उन पदनामों सहित, जो नगरपालिका अवधारित करे, नगरपालिका को अन्तरित कर दिये गये हैं और उसके पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी हो गये हैं और वे उसी अवधि तक उसी पारिश्रमिक तथा उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर पद धारण करेंगे, जिन पर वे तब धारण करते यदि अधिनियमों का निरसन नहीं हुआ होता, और तब तक ऐसा करते रहेंगे जब तक नगरपालिका ऐसी पदावधि, पारिश्रमिक तथा निबंधनों और शर्तों में सम्यक् परिवर्तन नहीं कर देती:

परन्तु यह कि उपधारा (1), (3), (4) और (5) में उल्लिखित विभिन्न अधिनियमों के निरसन के पूर्व किसी पदाधिकारी

या अन्य नियमित कर्मचारी द्वारा की गई किसी सेवा के बारे में यह माना जायेगा कि सेवा नगरपालिका के अधीन की गई है:“

3. संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 3457 दिनांक 27.08.1990 के द्वारा खान पर्षद, हजारीबाग के कर्मियों को सरकारी कर्मचारियों की भाँति पेंशन भुगतान की सुविधा इस शर्त के साथ स्वीकृति दी गई है बशर्ते खान पर्षद इस मद में होने वाले व्यय को स्वयं वहन करने में पूर्ण रूपेण सक्षम हो तथा इसके लिए खान पर्षद के वार्षिक आय-व्ययक में अपेक्षित उपबंध हो।

उक्त प्रावधान के आलोक में खान पर्षद, हजारीबाग के सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन के संबंध में उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-1048 दिनांक-01.09.2017 के द्वारा इस पर राज्य सरकार से निर्णय लिए जाने की अपेक्षा की गई है।

4. नगर विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना संख्या-973 दिनांक-06.02.2017 के द्वारा यह निर्णय पूर्व से संसूचित है कि नगरपालिका के कर्मियों के पेंशन एवं उपादान का भुगतान संबंधित नगरपालिका निधि से ही किया जायेगा।
5. खान पर्षद, हजारीबाग के सेवानिवृत्त कर्मों सम्प्रति हजारीबाग, रामगढ़, गिरिडीह एवं फुसरो नगर निकाय में संबद्ध हैं एवं उक्त नगरपालिकाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने का उल्लेख करते हुए विभाग से बारंबार खान पर्षद, हजारीबाग के सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन भुगतान हेतु आवंटन की मांग की जाती है।
6. शहरी स्थानीय निकायों में नगरपालिका कर्मियों के पेंशन के संबंध में **Patna Municipal Corporation officer & servant Pension Rules, 1986** एवं **Bihar Municipal officer & servant Pension Rules, 1987** प्रभावकारी है, जिसके आधार पर सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन का भुगतान किया जाता है।

अतएव उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि तत्कालीन खान पर्षद, हजारीबाग के सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन लाभ की गणना का **Patna Municipal Corporation officer & servant Pension Rules, 1986** एवं **Bihar Municipal officer & servant Pension Rules, 1987** होगा, जो अधिसूचना निर्गत किये जाने की तिथि से प्रभावी होगा। साथ ही, अधिसूचना संख्या-973 दिनांक-06.02.2017 में लिए गये निर्णय के आलोक में शहरी स्थानीय निकायों द्वारा खान पर्षद, हजारीबाग के सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन का भुगतान किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मनोहर मराण्डी,
सरकार के अपर सचिव।
